जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 08.04.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 96 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 96 वाहनों से 1,26,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 08-04-2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर द्वारा संयुक्त रुप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथ प्रा0 विद्यालय मैनसिर व प्रा0विद्यालय कोनी का किया गया निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनांक 08.04.2024 को जिलाधिकारी जनपद संतकबीरनगर ***श्री महेन्द्र तंवर*** व पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा संयुक्त रुप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत क्रमशः थाना महुली व थाना कोतावाली खलीलाबाद अन्तर्गत पोलिंग बूथ प्रा0 विद्यालय मैनसिर व प्रा0 विद्यालय कोनी का निरीक्षण किया गया। मतदान के दृष्टिगत बूथों पर की गई व्यवस्थाओं विद्युतीकरण, बाउंड्रीवाल, पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का जायजा लिया गया तथा मतदान केंद्र पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक सुधार हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। निरीक्षण के दौरान पीआरओ पुलिस अधीक्षक उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 08.04.2024

आज दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री शशिशेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त व बाल अपचारी गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 196/2024 धारा 363/376 (डी) भा0द0वि0 व 5G/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र रामबेचारे निवासी ग्राम चपरा पूर्वी टोला खालेपुरवा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर व 01 नफर बाल अपचारी को नेतवापुर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त व बाल अपचारी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 08.04.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, का0 विशाल सिंह।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.04.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 06 सीसीटीवी कैमरें

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 08.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 06 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गए हैं। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क

पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना महुली पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री सतीश कुमार सिंह*** व वरिष्ठ उपनिरीक्षक राम करन निषाद द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत कस्बा महुली व नाथनगर में फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शस्त्र अधिनियम के 01 अभियुक्त को 02 माह 20 दिन के साधारण कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 08.04.2024 को ***न्यायालय जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता लहरीढ़ाढ़ी पुत्र बुद्धिराम बढ़ी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत 02 माह 20 दिवस को साधारण कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000-5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 08.04.2024 को ***न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-2 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0296/2020 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट मामलें में अभियुक्तगण नाम पता 1.आदिल उर्फ आजाद पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्ले निवासी सरायमीर कसाई टोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. राजेश उर्फ मो0 फैजान पुत्र शौकत अली निवासी शमशाबाद थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्धि के आधार पर धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत 02-02 के कठोर कारावास तथा 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 01-01 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।